बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–59 / 2016 4894 / कृ0, पटना, दिनांक- 22/11/2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) **अनौपचारिक रूप** द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)
से परामर्शित।

विषय : **केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (NMOOP) Mini Mission-I योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यक्रमों के लिए कुल 264.23 (दो करोड़ चौसठ लाख तेईस हजार रुपया मात्र) लाख रुपया (केन्द्रांश–150.52 लाख रुपया तथा राज्यांश–100.34 लाख रुपया एवं अतिरिक्त राज्यांश 13.37 लाख रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार, केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (NMOOP) Mini Mission-I योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यक्रमों के लिए कुल 264.23 (दो करोड़ चौसठ लाख तेईस हजार रुपया मात्र) लाख रुपया (केन्द्रांश–150.52 लाख रुपया तथा राज्यांश– 100.34 लाख रुपया एवं अतिरिक्त राज्यांश 13.37 लाख रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के कृषि विकास में तेलहनी फसल का उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाना है एवं योजना कार्यान्वयन के फलस्वरूप किसानों की आमदनी में वृद्धि लाना। NMOOP (Mini Mission-I) योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 का भारत सरकार, कृषि मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अनुसूची–1 संलग्न है। योजना का जिलावार लक्ष्य अनुसूची–2 संलग्न है।

3. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक–14-2/2016-CA-II दिनांक 15 जुलाई, 2016 द्वारा इस योजना के लिए केन्द्रांश मद में 01.04.2016 को अव्यवहृत सामान्य श्रेणी के लिए 59.46509 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 60.60913 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 9.56625 लाख रूपये कुल 129.64047 लाख रूपये को वर्ष 2016–17 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्थायी वित्त समिति द्वारा सामान्य श्रेणी 124.94 लाख रूपये, अनुसूचित जाति के लिए 24.08 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.50 लाख रूपये कुल केन्द्रांश मद में 150.52 लाख रूपये की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है। जिसके आलोक में 01.04.2016 को इस योजना के लिए अव्यवहृत राशि में से केन्द्रांश सामान्य श्रेणी के लिए 59.46509 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 24.08 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 1.50 लाख रूपये का तत्काल व्यय किया जायेगा। केन्द्रांश सामान्य वर्ग में भारत सरकार से शेष राशि प्राप्त होने पर पूरक आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा।

4. जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि निदेशालय स्तर पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

5. प्रमाणित बीज वितरण (राई/सरसों, मूँगफली एवं सूर्यमुखी संकर बीज वितरण) :– भारत सरकार द्वारा तेलहनी फसलों के उपज में वृद्धि के लिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (NMOOP) Mini Mission-I की योजना वर्ष 2014–15 से शुरू की गई है। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश निर्धारित किया गया है। तेलहनी फसल यथा राई/सरसों/तोरी, तीसी, मूँगफली, सोयाबीन के प्रमाणित बीज वितरण पर भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान 2500 रुपया प्रति क्विंटल एवं संकर प्रभेद के सूर्यमुखी/कुसुम/अण्डी/तिल बीज वितरण पर अधिकतम अनुदान 5000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से देय है, तथा राज्यांश मद से 800 रुपया प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान दर (Top Up) स्वीकृत किया गया है।

6. केन्द्र प्रायोजित योजना के सभी घटकों में 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। बीज अनुदान मद में अतिरिक्त अनुदान का व्यय भार शत्–प्रतिशत राज्यांश मद से पूरा किया जायेगा है।

7. योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के अन्तर्गत निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।

8. **मिनीकीट बीज वितरण** :– मिनीकीट बीज वितरण खरीफ/गरमा/रब्बी के लिए भारत सरकार द्वारा निःशुल्क मिनीकीट का बीज यथा मूँगफली, तिल, संकर सूर्यमुखी एवं राई/सरसों/तोरी आदि तेलहनी फसलों का बीज वितरण किसानों को किया जाता है।

मूँगफली मिनीकीट के लिए न्यूनतम 25 हेक्टेयर एवं अन्य तेलहनी फसलो के लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर का क्लस्टर चयन कर, उस क्लस्टर के सभी किसानों को मिनीकीट बीज उपलब्ध कराया जाता है।

राई/सरसों/तोरी एवं सूर्यमुखी के लिए 2 Kg/पैकेट, मूँगफली के लिए 20 Kg/पैकेट एवं तिल के लिए 1 Kg/पैकेट मिनीकीट का बीज दिया जाता है। किसानों को मिनीकीट बीज का प्रयोग अपने प्रक्षेत्रों में नये प्रभेदों के प्रचार–प्रसार हेतु दिया जाता है।

9. **प्रत्यक्षण** :– कम समय में तकनीकी हस्तांतरण का सबसे उत्तम तकनीक फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम है। इसके कारण कृषकों के बीच यह काफी लोकप्रिय है। एन०एम०ओ०ओ०पी० (मिनी मिशन–I) के अनुरूप प्रत्यक्षण आधुनिक तकनीक एवं प्रचार–प्रसार अपनाकर इसकी उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। फसल में राई/सरसों/तोरी, तीसी, मूँगफली एवं संकर प्रभेद के सूर्यमुखी की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्यक्षण किया जायेगा।

10. **जिप्सम/पायराईट्स** :– जिप्सम/पायराईट्स सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रयोग क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु किया जाता है। किसानों के द्वारा खेतों में मिट्टी की जाँच नहीं कराया जाता है एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इससे भी फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है इसलिए मिट्टी की जाँच कराकर ही किसानों को जिप्सम/पायराईट्स में प्रयोग करने के लिए सुझाव एवं अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है।

11. **सल्फर वितरण** :– सल्फर वितरण तेलहनी फसलों के बीज में तेलीय पदार्थ के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु किया जायेगा।

12. **पौधा संरक्षण रसायन एवं खरपतवारनाशी** :– फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि फसल में खरपतवार की मात्रा अधिक होने पर एवं कीट व्याधि के प्रकोपों से फसलों के उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत की कमी होती है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

13. **पौधा संरक्षण यंत्र** :– विभिन्न प्रकार के कीट–पतंगों द्वारा हमारी फसलों को लगभग 15–20 प्रतिशत क्षति होती है। इनके नियंत्रण हेतु इस यंत्र के द्वारा फसलों पर दवाइयों के छिड़काव करने हेतु कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

14. **सिंचाई पाईप** :– सिंचाई पाईप की आपूर्ति कृषकों को फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सिंचाई पाईप का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि फसलों के विभिन्न अवस्थाओं में ससमय सिंचाई नहीं की जाती है तो उससे फसलों में 40 से 50 प्रतिशत के उत्पादन में कमी होती है। यदि किसानों के द्वारा खुली नाली (Open Channel) के माध्यम से सिंचाई की जाती है तो उससे मिट्टी का क्षरण (Erosion) होता है एवं पानी सिचाईं नाले से रिसकर बह जाता है। इसलिए किसानों को सुगमतापूर्वक सिंचाई करने के लिए सिंचाई पाईप किसानों को अनुदानित दर पर सिंचाई पाईप (HDPE/PVC/Laminated Oven Lay Flat Tube) सिंचाई करने हेतु दिया जाता है। सिंचाई पाईप पर अनुदान मूल्य का 50% या अधिकतम अनुदान सीमा HDPE पाईप के लिये 50 रुपया/मीटर, PVC पाईप के लिये 35 रुपया/मीटर एवं HDPE Laminated Oven Lay Flat Tube के लिये 20 रुपया/मीटर, दोनों में जो न्यूनतम होगा, अनुदान देय होगा। सिंचाई पाईप के लिये अधिकतम अनुदान सीमा 15,000 रुपया प्रति लाभार्थी/किसान होगा। सिंचाई पाईप कृषकों को देने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुपालन में मेला में वितरण किया जायेगा।

15. **फ्लैक्सी फण्ड** :– फ्लैक्सी फण्ड मद में वर्षापात की कमी पर्याप्त मॉनसून की कमी के कारण आकस्मिकता के रूप में एवं स्थानीय क्षेत्र में किसानों के द्वारा नई तकनीक की प्रक्रिया को अपनाने हेतु इस फंड का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2016–17 में फ्लैक्सी फण्ड मद में उपलब्ध राशि से तीसी फसल का प्रत्यक्षण किया जाना है।

16. मिशन प्रबंधन व्यय की राशि के उपयोग करने हेतु घटक में उपलब्ध राशि से योजना के पर्यवेक्षण/भाड़े पर वाहन लेना/सेमीनार/वर्कशाप/ तेलहन मेला के आयोजन पर व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया।

17. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है।

18. भारत सरकार के पत्रांक– 6–4/2016-AAP (Coord.)/OS दिनांक: 28.07.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के बकाया राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। कालांतर में स्वीकृति प्रदान किये जाने पर अलग से आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

19. बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–108- वाणिज्यिक फसलें, माँग सं0–01, उपशीर्ष–0220– राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन, विपत्र कोड– P2401001080220, पी० एफ० एम० एस० कोड –9143, विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी	202.80	124.94
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं0–01, उपशीर्ष–0234, राष्ट्रीय तेलहन तथा ऑयल पाम मिशन, विपत्र कोड– P2401007890234, पी० एफ० एम० एस० कोड–9143, विषय शीर्ष–33 01– सब्सिडी	52.00	24.08
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796– अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं0–01, उपशीर्ष–0256, राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन, विपत्र कोड– P2401007960256, पी० एफ० एम० एस० कोड–9143, विषय शीर्ष– 33 01– सब्सिडी	5.20	1.50
योग	**260.00**	**150.52**

E:\ABHINAV\2016-17\NMOOP\Final Sanlekh 2016-17 Allocation Rs. 306.698, 22.08.2016.Doc